सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना—पत्र संख्याः— 2023/375 दर्ज तिथिः—11.12.2023

1. उदाराम पुत्र सादूलाराम
   कौम जाट साकिन छोटू ग्राम पंचायत छोटू तहसील नोखडा

.......................प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार नोखडा
2. जेठाराम पुत्र रामाराम
3. दूदाराम पुत्र रामाराम
4. बुधराराम चौधरी पुत्र रामाराम
5. राजूराम पुत्र रामाराम
6. रासिंगाराम चौधरी पुत्र रामाराम
7. लालाराम चौधरी पुत्र रामाराम
   कौम जाट निवासी छोटू तहसील नोखडा

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः—श्री चिमनसिंह चौधरी
अप्रार्थीगणः— एकतरफा

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—131,136
राजस्थान भू—राजस्व अधि.—1956

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—05.12.2024

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—131, 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 1033/319/32.1644 है0, मौजा छोटू तहसील नोखडा में अवस्थित है। प्रार्थी की उक्त खातेदारी आराजी के पडोस में अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की आराजी खसरा संख्या 319/32.1563 है0, मौजा छोटू तहसील नोखडा में अवस्थित है। उक्त आराजी का मूल खसरा एक ही था। इस प्रकार मूल खसरा संख्या 319 प्रार्थी व अप्रार्थी की संयुक्त आराजी थी। प्रार्थी एवं विप्रार्थी के पूर्वजों द्वारा उक्त संयुक्त

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.12.09 13:29:46 IST
Reason: SelfAttested

आराजी का विभाजन करवाया गया। उक्त विभाजन के अनुसार ही प्रार्थी व अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी का पृथक खाता कायम कर पृथक—पृथक तरमीम की गई। परन्तु सेग्रीगेशन के समय बिना मौका कब्जा देखे प्रार्थी की खातेदारी भूमि की तरमीम मौके पर कब्जे के विपरीत कर दी गई। उक्त गलत तरमीम के कारण प्रार्थी के कब्जे काश्त की आंशिक आराजी को अप्रार्थीगण की तरमीम के अंतर्गत दर्शाकर अंकित किया गया है। इससे प्रार्थी के कब्जे की खातेदारी भूमि पर नकारात्मक प्रभाव पडता है। असल में प्रार्थी व अप्रार्थीगण की आराजी की तरमीम परिशिष्ट—अ के अनुसार होनी अपेक्षित है। अतः प्रार्थी व अप्रार्थीगण की आराजी की तरमीम परिशिष्ट—अ के आधार दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण के बावजूद विधिवत तामिल अनुपस्थित रहने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। उक्त प्रार्थना—पत्र वास्ते पुनः मौका रिपोर्ट का न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नोखडा से पुनः मौका रिपोर्ट तलब की गई।

5. प्रकरण में उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। दौरान—ए—बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थी व अप्रार्थीगण की आराजी की तरमीम परिशिष्ट—अ के आधार दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

6. प्रकरण में बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में सर्वप्रथम हाल राजस्व नक्शा का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। प्रकरण में विवादित आराजी का हाल राजस्व नक्शा इस प्रकार हैः—

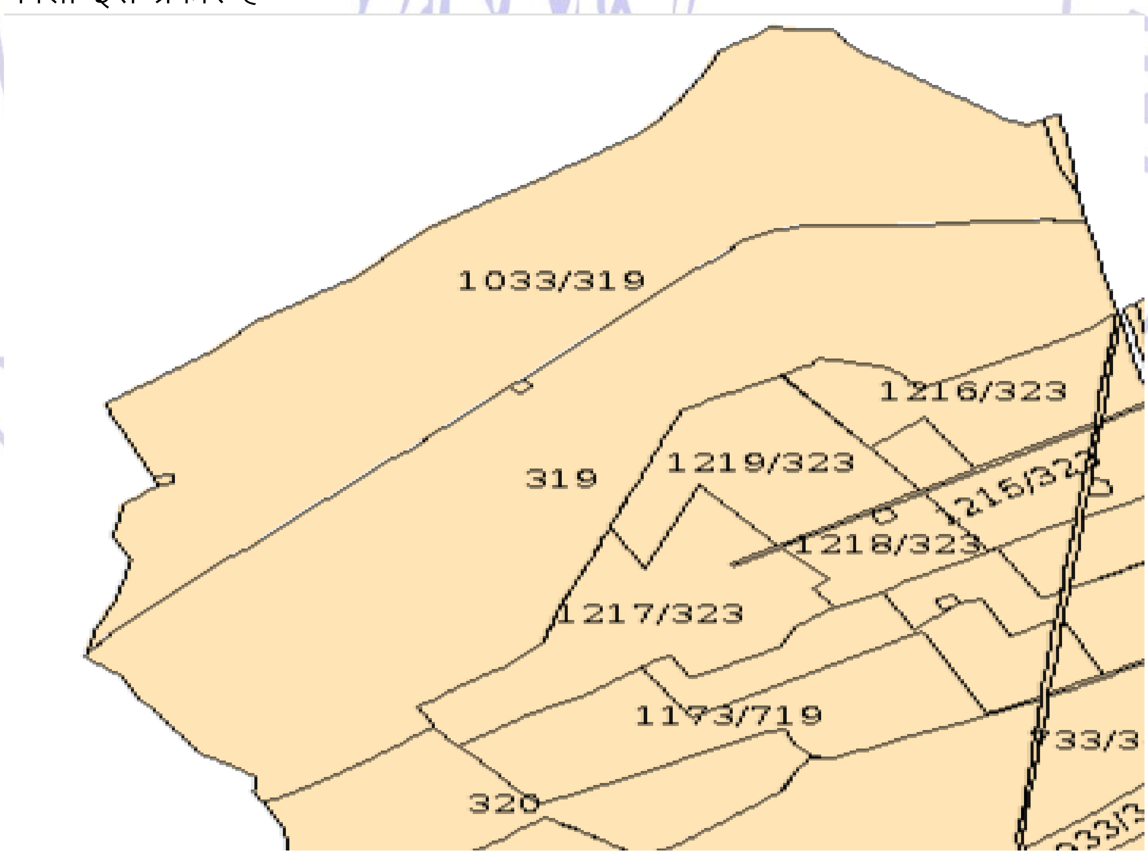

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.12.09 13:29:46 IST
Reason: SelfAttested

7. उक्त हाल राजस्व नक्शे के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 1033/319 तथा अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी आराजी खसरा संख्या 319 मौजा छोटू तहसील नोखडा पडोस में अवस्थित है। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी आराजी की तरमीम को दुरूस्त करवाने हेतु परिशिष्ट–अ प्रस्तुत किया है। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड व प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट–अ का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार है:–

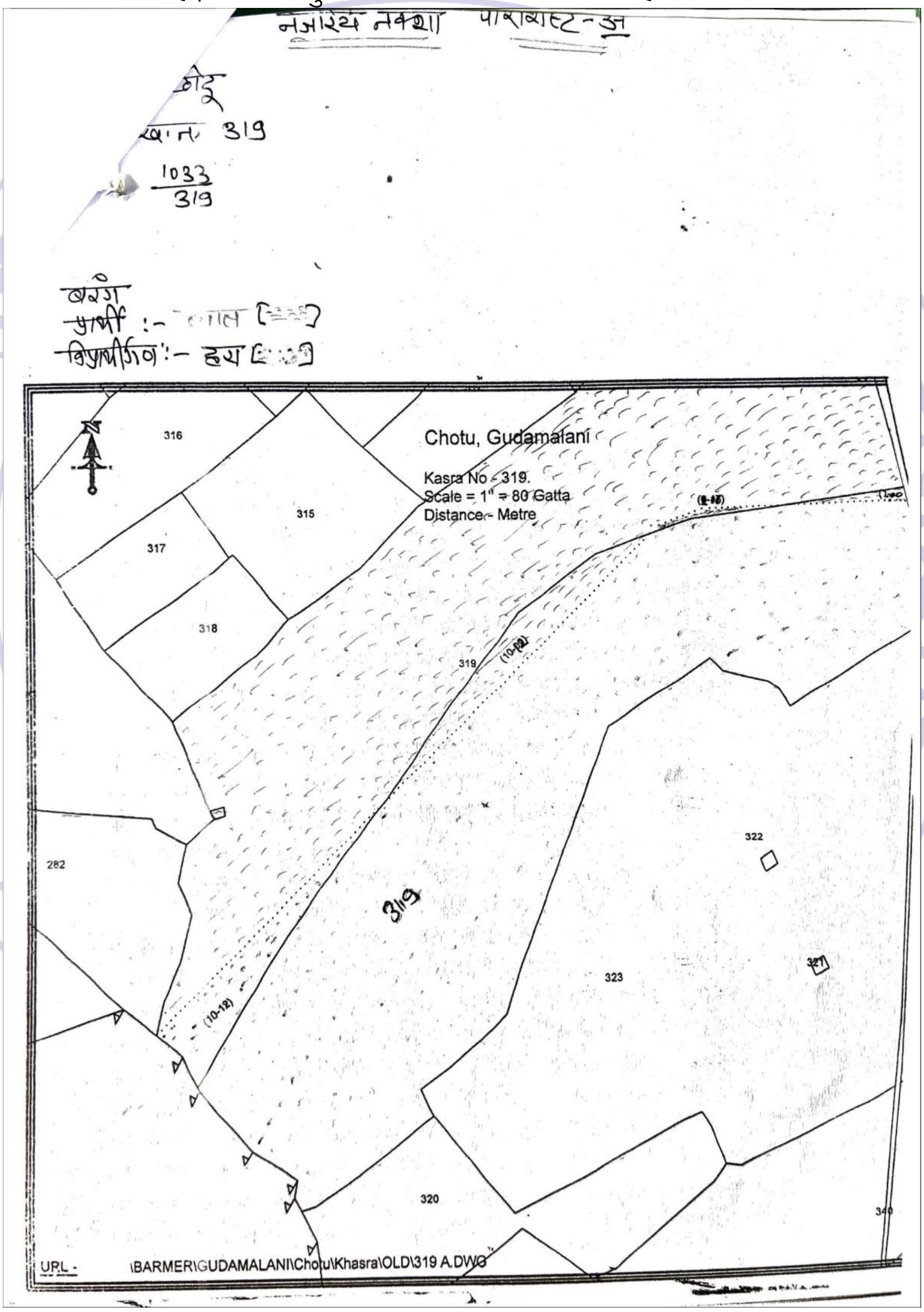

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.12.09 13:29:46 IST
Reason: SelfAttested

8. प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड व प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट—अ के परीक्षण के पश्चात तहसीलदार नोखडा पत्रांक / भू.अ. / 2024 / 1177 दिनांक 06.05.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है। उक्त तहसीलदार नोखडा द्वारा पत्रांक / भू.अ. / 2024 / 1177 दिनांक 06.05.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः—

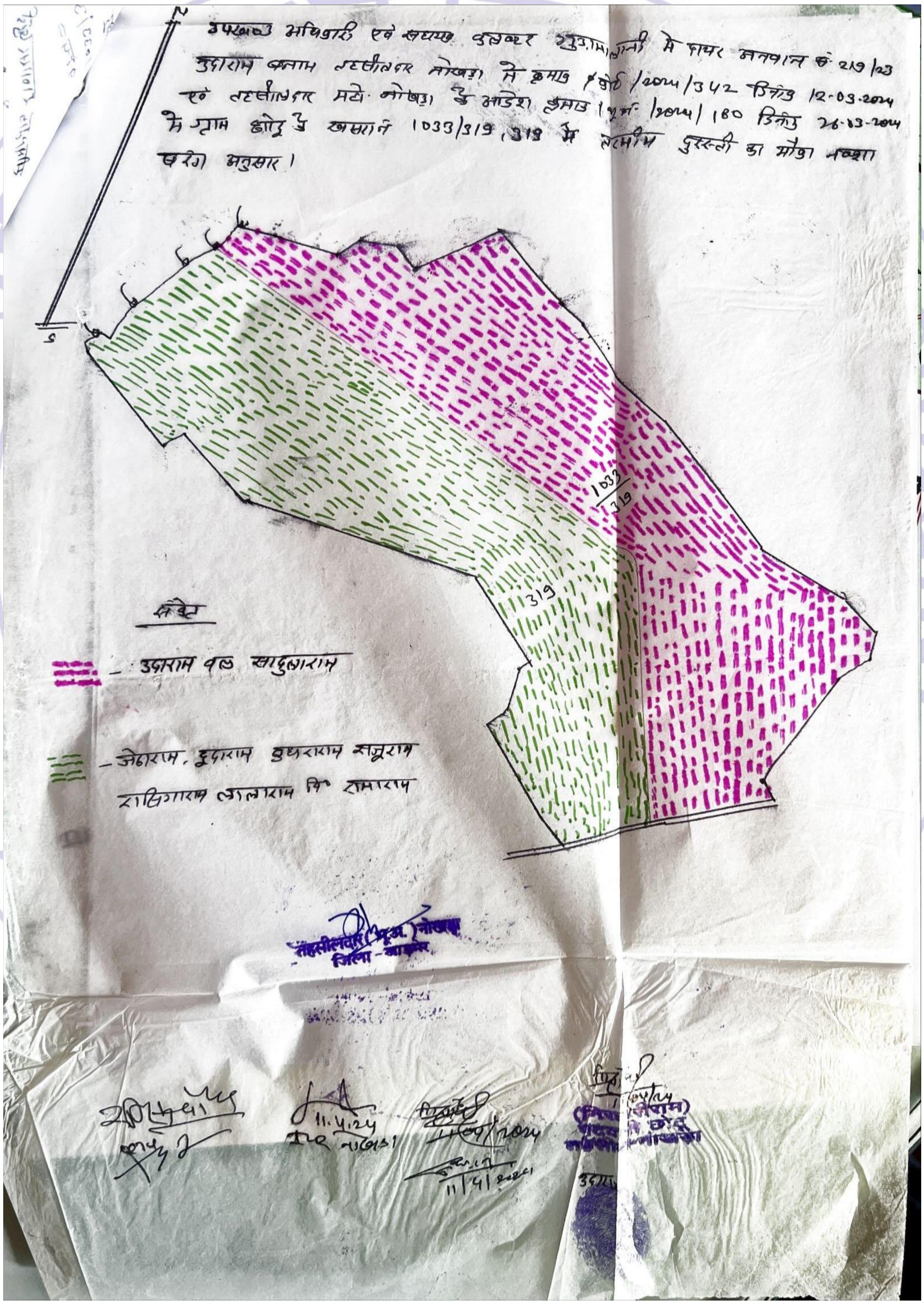

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.12.09 13:29:46 IST
Reason: SelfAttested

9. प्रकरण में तहसीलदार नोखडा द्वारा पत्रांक/भू.अ./2024/1177 दिनांक 06.05.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के प्रासांगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः–

> कि खसरा संख्या 1033/319 व 319 की तरमीम रिकॉर्ड में जरिये खातेदारान की आपसी सहमति के विभाजन के नामांतकरण संख्या 907 स्वीकृति दिनांक 02.01.2011 की स्वीकृति से विभाजन प्रस्ताव के साथ संलग्न नक्शा अनुसार की गई है। जो रिकॉर्ड अनुसार सही है। लेकिन मौके पर वर्तमान में कब्जा काश्त तरमीम से आंशिक भिन्न फर्द मौका के साथ नक्शानुसार बरंग हरा अनुसार खसरा संख्या 319 व बरंग गुलाबी अनुसार खसरा संख्या 1033/319 है।

10. प्रकरण में तहसीलदार नोखडा द्वारा पत्रांक/भू.अ./2024/1177 दिनांक 06.05.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तथा हाल राजस्व नक्शा के तुलनात्मक अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 1033/319 तथा अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी आराजी खसरा संख्या 319 मौजा छोटू तहसील नोखडा पडोस में अवस्थित है। इस प्रकार हाल राजस्व नक्शा व कब्जे अनुसार प्रस्तावित नजरी नक्शा के अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी की आराजी का रकबा समान है। परन्तु कब्जे के मुताबिक तरमीम नहीं की हुई है। तहसीलदार नोखडा द्वारा पत्रांक/भू.अ./2024/1177 दिनांक 06.05.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट से प्रस्तावित तरमीम से प्रार्थी व अप्रार्थी की आराजी का रकबा प्रभावित नहीं होगा। अपितु कब्जे के अनुसार तरमीम दुरूस्ती की जाकर केवल राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन होगा। इस प्रकार मुताबिक तहसीलदार नोखडा द्वारा पत्रांक/भू.अ./2024/1177 दिनांक 06.05.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नोखडा को निर्देश दिये जाते हैं कि पत्रांक/भू.अ./2024/1177 दिनांक 06.05.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार नोखडा को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 05.12.2024 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.12.09 13:29:46 IST
Reason: SelfAttested